दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 06 अक्टूबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 11

महत्वपूर्ण एवं खास

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लखीमपुर मामला, हिंसा को लेकर मंत्रियों पर एफआईआर की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। आखिरकार यूपी के लखीमपुर खीरी में तीन अक्तूबर को हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दो वकीलों ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दायर करने और उन्हें दंडित करने की मांग की है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह गृह मंत्रालय व पुलिस को मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दे। याचिका में मांग की गई है कि हिंसा व उपद्रव मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निश्चित समय में जांच का आदेश भी दिया जा सकता है। किसानों का आरोप है कि नानपारा बहराइच के किसान गुरविंदर सिंह की मौत गोली लगने से हुई थी लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने का जिक्र भी नहीं किया गया है। किसानों का आरोप है कि कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती की गई है।

जमीनी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या

भिण्ड (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में जमीन विवाद के मामले में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पीट पीटकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि बरोही थाना क्षेत्र के ग्राम पुर में खेत की जमीन की बटवारे को लेकर प्रीतम नरवरिया से उसके छोटे भाई मेघसिंह से चल रहा था। इस मामले में कल खेत पर दोनों भाई के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ गया कि प्रीतम ने अपने छोटे भाई मेघसिंह को लाठियों से पीट पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इस घटना के बाद से फरार सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने का समय : भारत

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने बहुपक्षीय मंचों की पवित्रता का हनन करते हुए अपने झूठ का प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रहार किया और कहा कि उसे (पाकिस्तान) को जवाबदेह ठहराने तथा दुष्प्रचार , नफरत और हिंसा भड़काने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का दुरुपयोग करने का यह समय है। भारत ने पहली समिति (निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे) की सामान्य बैठक में अपने 'उत्तर के अधिकार' में कहा कि पाकिस्तान की मेजबानी, सहायता और सक्रिय रूप से आतंकवादियों का समर्थन करने की परिपाटी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के महत्वपूर्ण मामलों से निपटने वाली इस समिति में उससे किसी रचनात्मक योगदान की उम्मीद कैसे की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार ए अमरनाथ ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के निराधार आरोप वास्तव में एक ऐसे राष्ट्र से समृद्ध हैं जो मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा को प्रोत्साहित कर रहा है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर भारत के खिलाफ कई निरर्थक और निराधार आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा, यह भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित हैं और जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र देश का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। अमरनाथ ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया उसके छल-कपट को देख पा रही है। उन्होंने जोर दिया कि यह पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने का समय है और उसे नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग नहीं करने देना है। उन्होंने कहा कि भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत अपने दायित्वों का सख्ती से पालन करता है और ऐसे देश से किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है, जिसके पास परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के अवैध निर्यात का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा , पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का कोई सम्मान नहीं है। उसके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकवादियों को शहीदों के रूप में महिमामंडित करते हैं। इस देश के घोर दोहरेपन का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है?

सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र व दिल्ली सरकार आमने सामने, दायर याचिका पर तीन जजों की बेंच गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की याचिका पर दिवाली के बाद सुनवाई करने के लिए तीन सदस्यीय बेंच गठित करेगा। यह याचिका इस विवादित मुद्दे को लेकर दायर की गई है कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण किसके पास होना चाहिए। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2019 के खंडित फैसले को लेकर दायर की गई है।

जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की दो जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 को चीफ जस्टिस से सिफारिश की थी कि उसके खंडित निर्णय के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर फैसला करने के लिए तीन जजों की बेंच गठित की जाए। दोनों जज अब रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस भूषण ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास प्रशासनिक सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं है। बहरहाल, जस्टिस सीकरी ने अलग फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि नौकरशाही के शीर्ष पदों पर अधिकारियों का तबादला या नियुक्ति केवल केंद्र सरकार कर सकती है और अन्य नौकरशाहों के संबंध में अलग-अलग राय होने पर उपराज्यपाल की राय मानी जाएगी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा और जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस हिमा कोहली ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा से कहा कि हमें दशहरा की छुट्टियों के बाद एक बेंच गठित करनी होगी। याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद होगी। मेहरा ने कहा कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले के बाद पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन थीं और सेवाओं समेत बाकी के विषय दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह सेवाओं के मुद्दे से जुड़ा मामला है। दो जजों की बेंच ने अलग-अलग राय दी और यह मामला तीन जजों की बेंच के समक्ष जाना है। चूंकि अभी सारा प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र के पास है तो यह यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और दिल्ली सरकार की अपनी नीति को लागू करने की क्षमता में बाधा डालता है। इससे पहले केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे टकराव से जुड़े छह मामलों पर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं के नियंत्रण के अलावा बाकी के पांच मुद्दों पर सर्वसम्मति से फैसला दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष से संबंधित छह मामलों पर सुनवाई कर रहा था, उसने सेवाओं पर नियंत्रण को छोड़कर शेष पांच मुद्दों पर सर्वसम्मति से आदेश दिया था। दोनों जजों ने सहमति व्यक्त की थी कि उपराज्यपाल का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर नियंत्रण होगा, जैसा कि केंद्र द्वारा पहले ही अधिसूचित किया गया है और जांच आयोगों को नियुक्त करने की शक्ति भी केंद्र सरकार के पास होगी। बेंच ने फैसले में कहा था कि वहीं, निर्वाचित दिल्ली सरकार को सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति करने, भू-राजस्व मामलों को तय करने और बिजली आयोग या बोर्ड को नियुक्त करने या उससे निपटने का अधिकार होगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके गए, धरने पर बैठे, बोले- लखीमपुर नहीं जा रहा, क्यों रोका गया

लखनऊ (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका तो वे वहीं धरने पर बैठ गए। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे लखीमपुर में नहीं जा रहा हैं, धारा 144 वहां लगी है मैं लखनऊ के लिए आया हूं। वहीं जब सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आदेश का हवाला दिया तो वे फर्श पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश सरकार के मना करने के बावजूद भी सीएम भूपेश बघेल लखीमुपर में किसानों से मिलने जा रहे थे। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कहा कि मैं लखनऊ के लिए निकल चुका हूं। किसानों के साथ न्याय होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि (लखीरपुर खीरी) के दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता उसी राज्य (उत्तर प्रदेश) में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जहां न्याय से इनकार किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने से पहले आइए एक बार लखीमपुर चलते हैं।

प्रियंका गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल लखीमपुर खीरी जाएंगे। इस दौरान वे मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन देंगे। रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब राहुल गांधी अपने चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ जाएंगे. फिर सड़क मार्ग के जरिए लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। यहां वे मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। उनके साथ 4 अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल होंगे।

गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ अर्जी

» 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। साल 2002 में हुए गुजरात दंगे से जुड़े मामलों में पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ जाकिया जाफरी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। जाकिया जाफरी कांग्रेस के दिवंगत नेता एहसान जाफरी की पत्नी हैं। गुजरात दंगों के समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। जस्टिस ए.एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई को 26 अक्टूबर तक के लिए टाला जा रहा है। हालांकि पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई को इसके बाद टाला नहीं जाएगा। बता दें कि इससे पहले अप्रैल में भी जाकिया जाफरी ने सुनवाई को टालने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। कोर्ट में जाकिया जाफरी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि केस की सुनवाई के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाया क्योंकि यह अचानक अधिसूचित कर दिया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की इस बात को खारिज किया और कहा कि मामले को काफी पहले नोटिफाई कर दिया गया था। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि मामले को इस साल अप्रैल में टाला गया था और फिर कोरोना की वजह से इसपर अब तक सुनवाई नहीं हो सकी थी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि मामले की सुनवाई के लिए एक तारीख तय की जाए।

इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी मद से एक करोड़ 97 लाख लोगों को मिला लोन : सीतारमण

» केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को रायपुर प्रवास पर

रायपुर (आरएनएस)। पूरी दुनिया में कोरोना के दंश से हुई अर्थव्यवस्था में गिरावट क्रम में भारत भी अछूता नहीं रहा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जब देश में अर्थव्यवस्था का क्रम मजबूती दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो वहीं देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को रायपुर प्रवास पर पहुंची हैं। आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाओं को घर एवं बाहर में किसी भी प्रकार का काम करने के लिए लोन की विशेष व्यवस्था वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है।

निर्मला सीतारमण ने पत्रकारवार्ता में कहा कि प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप मैं छत्तीसगढ़ आई हूं। आज दिनभर मैं रायपुर में सेवा के कार्यक्रमों में रहूंगी। भाजपा की प्रदेश इकाई ने मुझे आमंत्रण दिया है। वे बोलीं कि यहां आकर अच्छा लग रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेरा विमानतल से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने तक भव्य स्वागत किया है। यहां अच्छी बारिश भी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार और अपने मंत्रालय के काम गिनाते हुए बताया कि पीएम मुद्रा योजना में छत्तीसगढ़ के 6 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है। स्टैंड ऑफ इंडिया के तहत एक एससी/एसटी और एक महिला को हर ब्रांच से लोन दिया जा रहा है। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी मद से ये लोन दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब ज्यादा पैसे लेने के लिए घर का कागज देने की जरूरत नहीं है। इस योजना से अब तक 1 करोड़ 97 लाख लोगों को लोन मिला है। 3 हजार करोड़ रुपयों से ज्यादा की रकम का लोन जारी किया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी में ये भारत सरकार की गारंटी है। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को 3 हजार करोड़ से अधिक की रकम दी गई है।

डोनर मंत्रालय ने शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में पूर्वोत्तर परिषद की बदलती भूमिका पर एक कार्यशाला का किया आयोजन

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (डोनर), संस्कृति और पर्यटन मंत्री, जी किशन रेड्डी ने मेघालय और असम राज्यों का दो दिवसीय आधिकारिक दौरा किया। अपनी मेघालय यात्रा के एक भाग के रूप में, केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरएसडीएस) के कई विकास कार्यों और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिलांग, मेघालय में पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में आयोजित की गई एक समीक्षा बैठक में डोनर मंत्रालय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, डोनर मंत्रालय सचिव लोक रंजन, पूर्वोत्तर परिषद सचिव मूसा चलाई और अन्य अधिकारियों एवं गणमान्य लोगों के साथ हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सम्मेलन सभागार में आयोजित किए गए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में पूर्वोत्तर परिषद की बदलती भूमिका नामक कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू थे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सत्य पाल मलिक, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, डोनर मंत्रालय में राज्य मंत्री बीएल वर्मा, डोनर मंत्रालय में सचिव लोक रंजन, एनईसी सचिव मूसा चलाई और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य गणमान्य व्यक्ति, अकादमिक बिरादरी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान, जी किशन रेड्डी ने डोनर मंत्रालय की ओर से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम और संवैधानिक जिम्मेदारियों से समय निकालकर पूरे एक सप्ताह के लिए अष्टलक्ष्मी राज्यों की यात्रा की। जी किशन रेड्डी ने कहा, महोदय, यह बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे बीच मौजूद हैं और लोगों के साथ रहने वाला आपका यह जुनून आपको इस देश के सबसे सक्रिय उपराष्ट्रपतियों में से एक बनाता है जिन्हें अब तक इस देश ने देखा है। कैबिनेट मंत्री के रूप में भी आपने हमेशा ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पूर्वोत्तर परिषद के प्रति प्रतिबद्धता उनके कार्यों के माध्यम से जगजाहिर होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2016 में उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद की बैठकों में हिस्सा लिया था और उन्होंने 65वें पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया था और पिछले 40 वर्षों में ऐसा करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री थे। अपने संबोधन के दौरान, जी किशन रेड्डी जी ने पूर्वोत्तर में बेहतर सड़कें, रेलवे और हवाई मार्ग के माध्यम से अवसंरचना और संपर्क को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, राजधानी रेल संपर्क परियोजना के एक भाग के रूप में, पूर्वोत्तर के 3 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के शहर पहले से ही भारतीय रेलवे के मुख्य नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। शेष 5 राजधानियों को जोड़ने का काम चल रहा है।

चार धाम यात्रा पर जाने वालों के लिए हाई कोर्ट ने हटाई अपर लिमिट

नैनीताल (आरएनएस)। चार धाम यात्रा के मामले में उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की खबर है। प्रतिदिन सीमित संख्या में यात्रियों को धामों में प्रवेश दिए जाने के हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या को बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर जा सकता है। अब खबर यह आ रही है कि कोर्ट ने यात्रियों की संख्या अनलिमिटेड करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने ये आदेश देते हुए उत्तराखंड सरकार से कहा है कि सभी यात्रियों के लिए मेडिकल संबंधी तमाम इंतज़ाम पर्याप्त और त्वरित होने चाहिए। चारों धामों में मेडिकल सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखने के निर्देश भी हाई कोर्ट ने दिए। असल में, करीब तीन हफ्ते पहले हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा को सशर्त मंजूरी देते हुए केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही एक दिन में दर्शन के लिए अनुमति दिए जाने की व्यवस्था दी थी। इसके बाद से ही श्रद्धालुओं का हुजूम धामों पर पहुंच रहा था और प्रशासन को कई श्रद्धालुओं को रोकना या लौटाना पड़ रहा था।

पर्यटन मंत्रालय बौद्ध पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट पर सम्मेलन आयोजित करेगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। पर्यटन मंत्रालय ने विशेष रूप से देश में कोविड की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार और टीकाकरण लक्ष्यों की उपलब्धि के बाद उद्योगजगत के हितधारकों की भागीदारी से पर्यटन को बढ़ावा देना शुरू किया है। विदेशी और घरेलू पर्यटन दोनों भारत में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बौद्ध पर्यटन एक प्रमुख पर्यटन उत्पादों में शामिल है, जिसे भारत अपने विविध पर्यटन उत्पादों के बीच पेश करता है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रचार गतिविधियों का संचालन करता है और इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों, उनके आकर्षण तथा उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

बौद्ध पर्यटन की संभावना का दोहन करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध सर्किट ट्रेन एफएएम टूर और 04 अक्टूबर से 08 अक्टूबर, 2021 तक सम्मेलन का आयोजन किया है। एफएएम टूर में प्रमुख बौद्ध स्थलों के साथ-साथ बोधगया और वाराणसी के सम्मेलन स्थलों की यात्रा शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में टूर ऑपरेटरों, होटल व्यवसायियों, मीडिया तथा पर्यटन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित लगभग 125 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।

इसके अलावा, लगभग 100 स्थानीय टूर ऑपरेटर तथा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के अन्य हितधारक सर्किट में पर्यटन के विकास और प्रचार के संबंध में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बोधगया और वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे।

भारत इतिहास, संस्कृति, दर्शन, विरासत और धर्म के संदर्भ में दुनिया के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है और ये एक साथ देश को पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए सबसे वांछित स्थलों में सूचीबद्ध करते हैं। भारत में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थलों के साथ एक समृद्ध प्राचीन बौद्ध विरासत है। एक पर्यटन उत्पाद के रूप में भारत में बौद्ध पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय बौद्ध विरासत पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत रुचिकर है। यह भारत की महान परंपराओं और रीति-रिवाजों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति, प्रेरणा और मार्गदर्शक बनी हुई है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत को 'बुद्ध की भूमि' के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इन कारकों का लाभ उठाया है।

बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 2500 साल से भी पहले प्राचीन भारत में हुई थी और यह एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। करीब 500 मिलियन अनुयायियों के साथ, बौद्ध दुनिया की कुल जनसंख्या के 7 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। पवित्र स्थल बुद्ध के जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं - बुद्ध का जन्मस्थान लुंबिनी (नेपाल), बोधगया - जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ - जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्रप्रवर्तन भी कहा जाता है, कुशीनगर - जिसे बुद्ध ने अपने अंतिम प्रस्थान अथवा महापरिनिर्वाण के लिए चुना था, नालंदा- जो दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था और शिक्षण का एक केन्द्र था, राजगीर - जहां गृध्रा कूटा (गिद्धों की पहाड़ी) में बुद्ध ने ध्यान और उपदेश देते हुए कई महीने बिताए, श्रावस्ती - जहां उन्होंने अपने कई सुत्त (उपदेश) पढ़ाए, और वैशाली - जहां बुद्ध ने अपने कुछ अंतिम उपदेश दिए थे। पर्यटन मंत्रालय ने बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में, निम्नलिखित बौद्ध स्थलों, अर्थात् बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, संकिसा और कपिलवस्तु को कवर करने और विकसित करने की योजना बनाई है।